



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 390/2021

1 - अजय वर्मा @छोटू पिता भूप सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष गाँव निवासी केसला, पी.एस. पलारी, जिला बलौदाबाजार भाटपारा छत्तीसगढ़।

2 - शिवम वर्मा @मोनू पिता अनिल वर्मा, आयु लगभग 18 वर्ष गाँव केसला, पी.एस. पलारी, जिला बालोदबाजार भाटपारा छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्राधिकारी के द्वारा, पलारी, जिला बालोदबाजार भाटपारा छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :श्री ए. एस. राजपूत, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री शैलेंद्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 394/2021

पीयूष वर्मा @मिंटू पिता अरुण वर्मा, 19 वर्ष निवासी गांव सकरी, पुलिस थाना शहर कोटवाली बालोदबाजार, जिला-बालोदबाजार भाटपारा छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य,थाना प्राधिकारी के द्वारा, पलारी, जिला-बलौदाबाजार भाटपारा छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी



अपीलार्थी हेतु : ---श्री ए. एस. राजपूत, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु : ----श्री शैलेंद्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 440/2021

1 - सोहन ध्रुव और अन्य पिता भरत लाल, 20 वर्ष, ग्राम केसला, थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार
भाटपारा छत्तीसगढ़

2 - राजेंद्र कुमार दहरिया @लाला दहरिया @राजेंद्र डायमंड पिता बोधराम, 23 वर्ष, निवासी गाँव केसला,
थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार भाटपारा छत्तीसगढ़।

3 - उनिवासीश @रानिवासीश दहरिया पिता कोदु दहरिया 23 वर्ष निवासी गाँव केसला, थाना पलारी, जिला
बलौदा बाजार भाटपारा छत्तीसगढ़

4 - कमलेश @रॉकी घितलहरे पिता सुरेंद्र 19 वर्ष, निवासी गाँव अमेरा, थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार
भाटपारा छत्तीसगढ़

5 - गोपी साहू पिता रामेश्वर साहू, 19 वर्ष, निवासी गाँव अमेरा, थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार भाटपारा
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा ,थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार भाटपारा छत्तीसगढ़ ।

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :--श्री समीर सिंह तथा श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, अधिवक्तागण

उत्तरवादी हेतु :---श्री शैलेंद्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता



दाण्डिक अपील सं 820/2021

जगन्नाथ यादव @मोलू @जगदेव यादव पिता तीरथ राम @लोकू यादव ,24 वर्ष निवासी गाँव केसला, थाना पलारी, जिला बलौदा बाज़ार भथपारा छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना पलारी के द्वारा, जिला बलौदा बाजार भाटपारा छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :---श्री विकास कुमार पांडे, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :---श्री शैलेंद्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता



माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

10.07.2025

1. चूंकि उपरोक्त चार दाण्डिक अपीलें विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटपारा (छ.ग.) द्वारा विशेष प्रकरण (अत्याचार) क्रमांक 52/2020 में पारित दिनांक 10.03.2021 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं, इसलिए उन्हें एक साथ मिलाकर सुना गया और इस सामान्य निर्णय द्वारा निराकरण किया जाता है।
2. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण की ओर से दायर वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के बारे में पीडब्लू-3 (पीड़ितों के पिता) को नोटिस दिया गया है।
3. अपीलकर्ता- अजय वर्मा उर्फ छोटू (ए 1), शिवम वर्मा उर्फ मोनू (ए 2), सोहन ध्रुव (ए 3), राजेंद्र कुमार डहरिया उर्फ लता डहरिया उर्फ राजेंद्र डायमंड (ए 4), उकेश उर्फ राकेश डहरिया (ए 5), कमलेश उर्फ रॉकी



घृतलहरे (ए 6), गोपी साहू (ए 7), पीयूष वर्मा उर्फ मिंटू (ए 8) और जगन्नाथ यादव उर्फ मोलू उर्फ जगदेव यादव (ए 9) ने सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत ये चार दण्डित अपील दायर की हैं, जिनमें विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) बलौदाबाजार, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा विशेष प्रकरण (अत्याचार) क्रमांक 52/2020 में पारित दिनांक 10.03.2021 के आक्षेपित निर्णय पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को निम्नानुसार दोषी ठहराया है:---

सरल क्रमांक	अभियुक्त	धारा के तहत दोषसिद्धि	दंड (कठोर कारावास)	लगाया गया जुर्माना	जुर्माना राशि का व्यतिक्रम करने पर
1	कमलेश @रॉकी घृतलहरे (ए 6) तथा गोपी साहू (ए 7)	भा.दं. सं. की धारा 363 के अंतर्गत	05 वर्ष	रु.3000/-	6 माह
		भा.दं. सं. की धारा 354 के अंतर्गत	03 वर्ष	रु.3000/ -	6 माह
		भा.दं. सं. की धारा 376 (च) के अंतर्गत	03 वर्ष	रु.3000/ -	6 माह
		पॉक्सो अधिनियम 2012 कि धारा 8 के तहत	03 वर्ष	रु.3000/-	6 माह
		पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के उल्लंघन के लिए धारा 21 के तहत	06 माह	रु.1000/ -	1 महीना
2	अजय वर्मा @छोटू (ए 1), शिवम वर्मा @मोनू (ए 2) जगन्नाथ यादव @ मोलू @जगदेव यादव (ए 9), सोहन ध्रुव	भा.दं. सं. की धारा 341 सहपठित धारा 34	पीडब्लू-1 के संबंध में 01 माह का साधारण कारावास	रु.500 /-	3 दिन।
		धारा 376-डीए	आजीवन	रु.10000/-	01 वर्ष



	(ए 3), उकेश @राकेश डहरिया (ए 5), राजेंद्र कुमार डहरिया @लाला डहरिया @राजेंद्र डायमंड (ए 4)	आईपीसी, पीडब्लू-2 के संबंध में	कारावास जिसका अर्थ होगा शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास		
		धारा 376-डीए आईपीसी, पीडब्लू-1 के संबंध में	आजीवन कारावास जिसका अर्थ होगा शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास	रु.10000/-	01 वर्ष
		भा.दं. सं. की धारा 506 भाग-II	5 वर्ष पीडब्लू1 के संबंध में	रु.3000/-	06 माह
			5 वर्ष पीडब्लू 2 के संबंध में	रु.3000/-	06 माह
		6 पॉक्सो अधिनियम 2012, पीडब्लू- 1 के संबंध में	आजीवन कारावास जिसका अर्थ होगा शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास	रु.10000/-	01 वर्ष
		6 पॉक्सो अधिनियम	आजीवन कारावास	रु.10000/-	01 वर्ष





		2012, पीडब्लू- 2 के संबंध में	जिसका अर्थ होगा शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास		
3.	राजेंद्र कुमार डहरिया@लाला डहरिया @ राजेंद्र डायमंड (ए 4)	66(ई) आयकर अधिनियम 2000	03 वर्ष	रु.10,000/-	06 माह
4.	पीयूष वर्मा @ मिट्टू (ए 8)	354(ए)(1)(iv) आईपीसी	01 वर्ष पीडब्लू1 के संबंध में 01 वर्ष पीडब्लू 2 के संबंध में	रु.5000/- रु.5000/-	01 माह 01 माह
		12 पॉक्सो अधिनियम 2012	पीडब्ल्यू 1 के संबंध में 03 वर्ष पीडब्ल्यू 2 के संबंध में 03 वर्ष	रु.10000/- रु.10000/-	06 माह 06 माह
		21 पॉक्सो अधिनियम 2012	06 माह	रु.1,000/-	01 माह





4. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि प्रकरण की दोनों पीड़िताओं ने मोबाइल नंबर 9691533869 का इस्तेमाल किया था, जिस पर 30.05.2020 को रात लगभग 11:00 बजे अभियुक्त कमलेश उर्फ रॉकी ने अपने मोबाइल नंबर 9826259323 से कॉल किया। जब पीड़िता (पीडब्लू-1) ने कॉल रिसीव की, तो उपरोक्त अभियुक्त ने उसे घर के बाहर आने के लिए कहा क्योंकि वह और अभियुक्त गोपी मोटरसाइकिल पर उन्हें लेने आ रहे थे। दोनों पीड़िताओं ने मना कर दिया लेकिन उन्होंने बार-बार कॉल करके उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। जब दोनों पीड़िताएं घर के बाहर सड़क पर टहल रही थीं, उसी समय अभियुक्त कमलेश घृतलहार और गोपी साहू आए और दोनों पीड़िताओं को जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ग्राम अमेरा में अभियुक्त गोपी साहू के घर ले गए, जहां लगभग आधे घंटे तक बैठे रहने के बाद, अभियुक्त गोपी साहू और रॉकी दोनों पीड़िताओं को अमेरा के भाठा श्मशान घाट के पास ले गए, जहां लगभग आधे घंटे तक पीड़िता (पीडब्लू-2) आरोपी गोपी साहू के साथ और पीड़िता (पीडब्लू-1) अभियुक्त रॉकी के साथ बैठी रही। वे बातें करते रहे और चुंबन करते रहे। इसके बाद, अभियुक्त रॉकी और गोपी साहू दोनों पीड़ितों को एक ही मोटरसाइकिल पर ग्राम केसला छोड़ने जा रहे थे, तभी शेष 6 अभियुक्त उकेश उर्फ राकेश डहरिया, शिवम वर्मा, राजेंद्र उर्फ लाला डहरिया, जगन्नाथ यादव, सोहन ध्रुव, अजय वर्मा और बाल अपराधी सुंदरम वर्मा और कौशल ध्रुव ने केसला फाटक के पास मोटरसाइकिल को जबरन रोक लिया और इसी बीच, अभियुक्त जगन्नाथ यादव ने पीड़िता (पीडब्लू-1) को मोटरसाइकिल से खींच लिया और अभियुक्त अजय वर्मा ने पीड़िता (पीडब्लू-2) को मोटरसाइकिल से खींच लिया। उसी समय, एक ट्रैक्टर ग्राम केसला की ओर से आ रहा था। यह देख 6 अभियुक्तगण ने अभियुक्त रॉकी और गोपी को गाली-गलौज कर भगा दिया। इसके बाद अभियुक्त उकेश उर्फ राकेश डहरिया, शिवम वर्मा, राजेंद्र उर्फ लाला डहरिया, जगन्नाथ यादव, सोहन ध्रुव, अजय वर्मा ने नाबालिग अपराधियों के साथ मिलकर दोनों पीड़िताओं के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया और अभियुक्त राजेंद्र उर्फ लाला डहरिया ने अपने मोबाइल नंबर 6263161367 पर बलात्कार का वीडियो बना लिया। इन 6 अभियुक्तगण ने दोनों पीड़िताओं को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देंगे और वीडियो वायरल कर देंगे और वहां से चले गए। दोनों पीड़िताएं रात करीब 3:00-3:30 बजे अपने घर आईं लेकिन डर के मारे उन्होंने अपने माता-पिता को घटना के बारे में सूचित नहीं किया। अभियुक्त ने बलात्कार का वीडियो सकरी गाँव के अभियुक्त पीयूष वर्मा को दे दिया, जिसने बलात्कार के एक-दो दिन बाद, पीड़िता के पिता (पीडब्लू-3) के मोबाइल पर लगातार मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया और जब पीडब्लू-3 फोन उठाता, तो वह कॉल काट देता और जब दोनों में से कोई भी पीड़िता फोन उठाती, तो उसे यौन संबंध बनाने के लिए बुलाता। दिनांक 28.07.2020 को दोपहर लगभग 1:00 बजे, अभियुक्त पीयूष वर्मा ने अपने मोबाइल नंबर 8305348806 से पीड़िता (पीडब्लू-1) को पीड़िताओं के पिता के मोबाइल नंबर 6260234802 पर कॉल किया और कहा कि यदि वह शाम 6:00 बजे तक यौन संबंध के लिए नहीं आई, तो वह उनके बलात्कार का वीडियो वायरल कर देगा। फिर दोनों पीड़िताओं (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) ने उसी दिन अपने पिता (पीडब्लू-3) और मां को घटना की पूरी जानकारी दी।



5. दिनांक 28.07.2020 को 14:55 बजे पीड़िता (पीडब्लू-1) ने महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर उपरोक्त घटना की जानकारी दी। 5. दिनांक 28.07.2020 को 14:55 बजे पीड़िता (पीडब्लू-1) ने महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर उपरोक्त घटना की जानकारी दी। दिनांक 28.07.2020 को ही लगभग 16:00 बजे सखी सेंटर बलौदाबाजार की सेंटर प्रभारी तूलिका परगनिहा (पीडब्लू-6) को महिला हेल्पलाइन 181 रायपुर से घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तब वे पीड़िता (पीडब्लू-1) एवं पीड़िता की मां को सखी वन स्टॉप सेंटर बलौदाबाजार लेकर आईं। अगले दिन 29.07.2020 को 19:35 बजे पीड़िता के पिता (पीडब्लू-3) ने पुलिस केंद्र पलारी में सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई, जिस पर उप पुलिस अधीक्षक मिलिंद पांडे, (पीडब्लू-16) ने अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध क्रमांक 288/2020 के तहत भा.दं. सं. की धारा 363, 376, 376(डी), 376(डी,ए), 376(एफ), 341, 354(ए), 506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6, 8 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(वी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी, 67(ए)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया। अन्वेषण के दौरान, 29.07.2020 को 21:10 बजे, जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी.-15) के अनुसार, अभियुक्त शिवम वर्मा से एक रियलमी सी-1 मोबाइल फोन (जिसमें रिलायंस जियो सिम कार्ड 6265010405 था) जब्त किया गया था। इसी प्रकार, जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी.-16) के अनुसार, अभियुक्त राजेंद्र उर्फ लाला डहरिया से 21:35 बजे एक रेडमी 6 प्रो मोबाइल फोन (जिसमें रिलायंस जियो सिम कार्ड 6263161367 था) जब्त किया गया था। और जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी.-17) के अनुसार, 21:45 बजे अभियुक्त अजय वर्मा से एक माइक्रो मैक्स मोबाइल फोन (जिसका सिम कार्ड 8269377302 था) जब्त किया गया था। उसी दिनांक को 22:10 बजे, जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी.-12) के अनुसार, अभियुक्त पीयूष वर्मा से एक रेडमी Y2 मोबाइल (जिसका रिलायंस जियो सिम नंबर 8305348806 था) जब्त किया गया था। इसी प्रकार जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी.-14) के अनुसार, अभियुक्त कमलेश घृतलहरे से 22:20 बजे एक रेडमी नोट प्रो मोबाइल (जिसमें एयरटेल सिम क्रमांक 8305348806 लगा हुआ था) (सिम क्रमांक 9826259323 लगा हुआ था) तथा जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी.-13) के अनुसार, 22:30 बजे एक रियलमी 51 मोबाइल (जिसमें रिलायंस जिओ कंपनी का सिम क्रमांक 6268593229 लगा हुआ था) आरोपी गोपी साहू से जब्त किया गया था।

6. दिनांक 30.07.2020 को शाम 6:00 बजे, जब्ती ज्ञापन (एक्स पी.-18) के अनुसार, अश्लील सामग्री का पता लगाने के उद्देश्य से अभियुक्त जगन्नाथ यादव से एक नोकिया कीपैड मोबाइल (IEMI क्रमांक 356937097814) जब्त किया गया था। उसी तिथि को रात 8:15 बजे, पीड़ितों के पिता (पीडब्लू-3) की पेशी पर, जब्ती ज्ञापन (प्रत्यक्ष पी.-28) के अनुसार एक माइक्रोमैक्स मोबाइल (जिसका रिलायंस जियो सिम क्रमांक 6260234802 था और जिसका आई. ई. एम. आई. क्रमांक 911644906388247, 911644906388254 था) जब्त किया गया था। दिनांक 30.07.2020 को प्रातः 8:40 बजे उप पुलिस अधीक्षक मिलिंद पांडे (अ.सा.-16) ने अभियुक्त कमलेश उर्फ रॉकी घृतलहरे को अभिरक्षा में लेकर परीक्षा की



तथा उसका बयान (एक्स पी./-10) दर्ज किया गया था। (एक्स पी./-10) में अभियुक्त कमलेश घृतलहरे ने बताया कि उसने अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल ग्राम छुईहा भाटापारा रोड स्थित शैलेश के घर में अपने किराए के मकान में छिपा रखी थी, जिसे जब्ती ज्ञापन (एक्स पी./-11) के अनुसार उसकी निशानदेही पर प्रातः 9:10 बजे बरामद कर लिया गया था। दिनांक 30.07.2020 को प्रातः 9:30 बजे विवेचक मिलिंद पांडे (अ.सा.-16) ने जब्ती ज्ञापन दर्ज किया। गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार, अभियुक्त अजय वर्मा, गोपी साहू, उकेश डहरिया, कमलेश घृतलहरे, सोहन कुमार ध्रुव, शिवम वर्मा, पीयूष वर्मा, जगन्नाथ यादव, राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया था। उसी दिन प्रातः 9:45 बजे पीड़िता (अभि.सा.-1) की कक्षा 8 वीं की अंकसूची जब्ती ज्ञापन (प्रमाणपत्र-19) के अनुसार उसके पिता (अभि.सा.-3) द्वारा प्रस्तुत करने पर जब्त कर ली गई। 30.07.2020 को प्रातः 9:50 बजे अपराध स्थल का नक्शा (प्रमाणपत्र-2) तैयार किया गया था। दिनांक 30.07.2020 को, दोनों पीड़िताओं (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) और उनके पिता (पीडब्लू-3) से जननांग परीक्षण हेतु सहमति प्राप्त करने के पश्चात, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पलारी में उनकी जननांग जांच की गई और उसी दिन, उक्त सभी अभियुक्तगण की जननांग जांच की गई, जिसमें वे यौन संबंध बनाने में सक्षम पाए गए। परीक्षण के पश्चात, पीड़िता की संरक्षित स्लाइड और स्वाब को प्र.प.-82 के अनुसार, आरक्षक लीला साहू से 14.30 बजे एक सीलबंद पैकेट में जब्त किया गया था। दिनांक 31.07.2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसडोल द्वारा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्र.प.-1 एवं प्र.प.-7 के तहत पीड़ितों के बयान दर्ज किया गया था। दिनांक 04.08.2020 को 14:20 बजे कोटवार कांशीदास मानिकपुरी (अ.प.-5) के प्रस्तुतीकरण पर, जब्ती ज्ञापन (प्र.प.-21) के अनुसार, कोटवारी जन्म रजिस्टर (प्र.प.-41) जब्त किया गया था। दिनांक 05.08.2020 को 16:20 बजे, महिला हेल्पलाइन, रायपुर की प्रबंधक मनीषा तिवारी, (पीडब्लू-10) से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर दो मोबाइल नंबर 8770011591 (माँ द्वारा) और मोबाइल नंबर 6260234802 (पीडब्लू-1 द्वारा) से प्राप्त कॉल की सीडीआर को जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी.-50) के अनुसार एक पेन ड्राइव के साथ जब्त किया गया था। 05.08.2020 को, पटवारी (पीडब्लू-9) ने साइट मैप (एक्स.पी.-3) तैयार किया। 05.08.2020 को मनीषा तिवारी (पीडब्लू-10) ने केस फाइल की मूल प्रति और महिला हेल्पलाइन के केस क्रमांक CG-9127-W और केस क्रमांक CG-9148-W का रियल टाइम डेटा पुलिस थाना प्रभारी पलारी (एक्स.पी.-48) को भेजा। 08.08.2020 को 17:00 बजे, जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी.-29) के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला केसला, पुलिस थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सविता धुरंधर, (पीडब्लू-8) से एक नामांतरण रजिस्टर जब्त किया गया।

7. दिनांक 14.08.2020 को पलारी थाने के आरक्षक पप्पू पनागर (पीडब्लू-11) ने प्र.प.-53 के अनुसार 9 सीलबंद मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए साइबर फोरेंसिक लैब, पुलिस मुख्यालय, रायपुर में जमा किए। दिनांक 19.08.2020 को 14:10 बजे, पुलिस निरीक्षक सी.आर. चंद्रा (पीडब्लू-17) से महिला हेल्पलाइन से प्राप्त कॉल रिकॉर्ड (प्र.प.-47) को प्र.प.-51 के अनुसार अन्वेषक मिलिंद पांडे (पीडब्लू-16) द्वारा जब्त किया गया। दिनांक 20.08.2020 को 15:00 बजे, जब्ती ज्ञापन (प्रत्यक्ष पी.-22) के अनुसार, पीड़ितों के पिता (पीडब्लू-3) से उनका जाति प्रमाण पत्र जब्त किया गया। दिनांक 21.08.2020 को 11:00 बजे, अन्वेषणकर्ता



मिलिंद पांडे ने पीडब्लू-16 से अपराध संख्या 288/2020 की डायरी (एक्स पी-52) जब्त की। दिनांक 24.08.2020 को 18:00 बजे, जब्ती ज्ञापन (एक्स पी-17) के अनुसार, अभियुक्त अजय वर्मा की नमूना लिखावट की प्रति जब्त की गई थी। दिनांक 24.08.2020 को 19:30 बजे अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 22 P 3402 की RC बुक और शैलेश जांगड़े का आधार कार्ड जब्ती ज्ञापन (एक्स पी.-25) के अनुसार शैलेश जांगड़े (पीडब्लू-7) से जब्त किया गया था। दिनांक 28.08.2020 को 18.00 बजे अभियुक्त अजय वर्मा द्वारा लिखी गई हस्तलिपि जब्ती ज्ञापन (एक्स पी-111) के अनुसार जब्त की गई। दिनांक 31.08.2020 को 17:05 बजे अभियुक्त अजय वर्मा द्वारा लिखी गई हस्तलिपि जब्ती ज्ञापन एक्स पी-112 के अनुसार जब्त की गई थी। उसी दिनांक को 18:10 बजे अभियुक्त अजय वर्मा के पिता भूपसिंह वर्मा से खुली परीक्षा आवेदन पत्र जब्ती ज्ञापन (एक्स पी.-42) के अनुसार जब्त किया गया था।

8. इस प्रकार, अन्वेषण पूरी होने और अभियुक्तगण के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, 376(डी), 376 (डी,ए), 376 (एफ), 341, 354(ए), 506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे आगे अधिनियम, 2012 कहा जाएगा) की धारा 4, 6, 8 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66(डी), 67(ए)(बी) के तहत दंडनीय अपराध लगाए गए। 28.09.2020 को, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

9. सभी अभियुक्तगण ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और वाद की मांग की। दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत विचारण में कहा गया है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा, अभियुक्त शिवम वर्मा ने यह भी कहा है कि घटना से पहले पीड़िता के माता-पिता के साथ उनका झगड़ा हुआ था। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 19 साक्षियों का परीक्षण किया तथा 120 प्रदर्श प्रस्तुत किया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और निर्णय के कंडिका 3 में उल्लिखित अनुसार उन्हें दमड पारित किया गया है। अतः, ये अपीलें प्रस्तुत किया गया है।

11. सीआरए संख्या 390/2021 और सीआरए संख्या 394/2021 में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एस. राजपूत ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय खराब, अवैध, विकृत और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्यों पर लागू विधि के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रही है कि यदि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को यथावत मान लिया जाए, तो वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341 सहपठित धारा 34, भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डीए, धारा 566 भाग 2, धारा 376-डी, धारा 56-डी, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं बनते हैं। इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने में दो महीने से अधिक का विलंब हुई



है। साथ ही, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं कर रही है और अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान में बहुत सी चूक और विरोधाभास हैं।

12. सीआरए संख्या 440/2021 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री समीर सिंह और श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि और दंड का आक्षेपित निर्णय विधि तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है, जिसे अपास्त किया जाना चाहिए। विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष ने अभियोक्ता की आयु साबित नहीं की है और विद्वान विचारण न्यायालय ने दस्तावेज़ अर्थात् मार्कशीट पर भरोसा किया, जो उसके लेखक द्वारा साबित नहीं की गई थी, अभिलेख पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में त्रुटि की क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र साक्षियों की मांग की जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर रहे थे और अभियोजन पक्ष का बयान, अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए दं. प्र. सं. की धारा 161 और 164 के बयान और उसकी माँ के बयान के आलोक में विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन पक्ष का प्रकरण इतना कमज़ोर है कि अपीलकर्ताओं को दोषसिद्धि देना विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह साबित करती हो कि ऐसी घटना घटी है और केवल अभियोजन पक्ष के बयान के आधार पर ही विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी करार दिया, जबकि कई साक्षी अपने बयान से पलट गए थे और अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था। 13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार पाण्डेय ने सी.आर.ए. संख्या 820/2021 में प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय विधि, तथ्यों और प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत है, इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए। विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है और इसके अतिरिक्त, यह तथ्यात्मक और विधिक दुर्बलता तथा विकृतियों से ग्रस्त है, जिससे अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 डी, 376 डीए, 341, 506 और पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी दर्ज करने में दो महीने से अधिक का विलंब हुआ है। साथ ही, अभियोक्ता-1 और अभियोक्ता-2 की चिकित्सा रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं कर रही है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई चूक और विरोधाभास हैं।

14. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्क का विरोध किया गया है और कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि घटना के समय पीड़ित नाबालिग थे और इसकी पुष्टि एक्स पी-44 सी और एक्स पी-118 सी अर्थात् स्कूल एडमिशन रजिस्टर से होती है जिसमें पीड़िता (पीडब्लू-1) की जन्मतिथि 05.09.2003 और पीड़िता (पीडब्लू-2) की जन्मतिथि 24.06.2005 अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक अर्थात् 30.05.2020 को पीड़ितों की आयु 18 वर्ष से कम थी। इस प्रकार, यह अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अखंडित साक्ष्य है। इसलिए, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित ढंग से दोषी ठहराया गया है और दोषसिद्धि का निर्णय विधि की दृष्टि में उचित और न्यायसंगत है तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए अपीलकर्ताओं/आरोपियों को विद्वान



विचारण न्यायालय द्वारा उचित ढंग से दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (अनुच्छेद-ए), सीडीआर (एक्स.पी-75) और अभियोजन पक्ष के साक्षी, अर्थात् पीड़ितों के पिता (पीडब्लू-3), महिला हेल्पलाइन प्रबंधक श्रीमती मनीषा तिवारी (पीडब्लू-10), तूलिका परगनिहा (पीडब्लू-6), साइबर लैब में उप-निरीक्षक विक्रम ध्रुव (पीडब्लू-14), चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एस. ध्रुव (पीडब्लू-13), मिलिंद पांडे (पीडब्लू-16) और अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार किया है, जिससे एकमात्र निष्कर्ष यह निकलता है कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने उनके विरुद्ध पूर्वोक्त अपराध के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, जैसे पीड़ित लड़कियों के साथ अत्यंत क्रूर तरीके से सामूहिक बलात्कार करना। उत्तरवादी/राज्य ने आगे कहा कि निर्णय के कंडिका 42 में, विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अपराध में अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में अपनी टिप्पणी समाप्त की है, जो न्यायसंगत और उचित है और बचाव पक्ष ने विचारण की कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए किसी भी निष्कर्ष या साक्ष्य का खंडन नहीं किया है। इसके अलावा, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की सहानुभूति के हकदार नहीं हैं। अतः, उपर्युक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, अपीलकर्ताओं की अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं क्योंकि वे अस्पष्ट, निराधार और गुण-दोष से रहित हैं और तदनुसार खारिज किए जाने योग्य हैं।

15. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2018 के हिमांशु उर्फ शम्मी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्णय का भी उल्लेख किया गया, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निंदा की है:-

"बाल बलात्कार के मामले विकृत यौन लालसा के मामले हैं जहाँ यौन सुख की तलाश में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। इससे अधिक घृणित कुछ नहीं हो सकता है। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। ऐसे कई मामले सामाजिक कलंक के कारण प्रकाश में भी नहीं आ पाते हैं। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार, बाल बलात्कार के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, इन बच्चों को उचित विधिक सुरक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी न्यायालय के कंधों पर और भी ज़्यादा होती है। उनकी शारीरिक और मानसिक गतिहीनता ऐसी सुरक्षा की माँग करती है। बच्चे हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हैं। वे देश का भविष्य हैं। कल की आशा उन पर टिकी है। हमारे देश में, बालिकाएँ बहुत ही असुरक्षित स्थिति में हैं और उनके शोषण का एक तरीका यौन शोषण के अन्य तरीकों के अलावा बलात्कार भी है। ये कारक एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।"

16. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।



17. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय पहला प्रश्न यह है कि क्या पीड़ित घटना के दिन बालक थे और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित थे।

18. जहाँ तक पीड़ितों की जाति का प्रश्न है, इस संबंध में, दोनों पीड़ितों ने अपने साक्ष्य के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का बताया है। पीड़ितों के पिता (सा.सा.-3) ने भी साक्ष्य (प्र.सा.-23 और 24) अर्थात् सा.सा.-1 और सा.सा.-2 दोनों के जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया। जब्ती ज्ञापन (एक्स पी.-22) के अनुसार पिता से इस जाति प्रमाण-पत्र की जब्ती के बिंदु पर, अन्वेषक मिलिंद पांडे (पीडब्लू.-16) का साक्ष्य अभिलेख में है। एक्स पी.-23 और 24, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बलौदाबाजार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र हैं, जिनकी प्रामाणिकता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। उक्त प्रमाण-पत्रों में, दोनों पीड़ितों को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित बताया गया है। इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि पीड़िताएं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं।

19. अब पीड़िताओं की आयु की बात करें तो, इस संबंध में, पीड़िता (पीडब्लू.-1) ने अपनी जन्मतिथि 05.09.2003 बताई है और पीड़िता (पीडब्लू.-2) ने अपनी जन्मतिथि 24.06.2006 बताई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस्मान बनाम उत्तराखंड राज्य 2021 एससीसीऑनलाइन उत्तर प्रदेश 142 के मामले में जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 एससीसी 263 के दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए यह निर्णय दिया है कि पोक्सो मामलों में पीड़ित की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार पोक्सो नियम, 2007 के नियम 12 (3) के आधार पर किया जाएगा।

20. किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि

94(2)- यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, आयु निर्धारण की प्रक्रिया साक्ष्य प्राप्त करके प्रारंभ करेगा-

(i) विद्यालय से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में।

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) और केवल उपर्युक्त (1) और (ii) के अभाव में, आयु का निर्धारण अस्थिकरण परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा: परंतु कि समिति या बोर्ड के आदेश पर किया गया ऐसा आयु निर्धारण परीक्षण ऐसे आदेश की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।



21. इस प्रकार, पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए, उसके स्कूल प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन या संबंधित परीक्षा बोर्ड से समकक्ष प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि को पहले ध्यान में रखा जाएगा और यदि इनमें से कोई भी गायब है, तो निगम या नगरपालिका अधिकारी या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा और ऐसा न होने पर, आयु का निर्धारण अस्थिकरण परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान प्रकरण में, पीडब्लू-1 की आयु निर्धारित करने के लिए, एक्स.पी.-20 के रूप में कक्षा-8 की अंकतालिका और एक्स.पी.-44 सी के रूप में दाखिल खारिज रजिस्टर का साक्ष्य जब्त किया गया और पीडब्लू-2 की आयु निर्धारित करने के लिए एक्स.पी.-118 सी के रूप में दाखिल खारिज रजिस्टर का साक्ष्य को जब्त किया गया। एक्स.पी.-20 (कक्षा-8 की अंकतालिका) में, पीडब्लू-1 की जन्मतिथि 05.09.2003 अंकित है।

22. पीडब्लू-1 की जन्मतिथि के बिंदु पर, श्रीमती का साक्ष्य शासकीय प्राथमिक शाला केसला की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सविता धुरंधर (पीडब्लू-8) जो दिनांक 16.12.2020 को अपनी परीक्षा के समय अपने साथ उक्त विद्यालय का वर्ष 2005 से अब तक का प्रवेश-भर्ती रजिस्टर मूल प्रति में लेकर आई, जिस पर प्र.पी.-44 अंकित था तथा मिलान करने पर उसकी छायाप्रति प्र.पी.-44 सी के रूप में जप्त की गई। इस रजिस्टर में भी पीडब्लू-1 की जन्मतिथि 05.09.2003 अंकित है। इसी प्रकार, पीडब्लू-2 की आयु निर्धारण हेतु श्रीमती सविता धुरंधर (पीडब्लू-8) दिनांक 25.02.2021 को उक्त पीड़िता पीडब्लू-2 से संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर के साथ पुनः उपस्थित हुई। उनकी परीक्षण के दौरान, पीडब्लू-8 द्वारा अपने साथ लाए गए उक्त विद्यालय के वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक के दाखिल खारिज रजिस्टर पर प्र.पी.-118 अंकित किया गया तथा मिलान के पश्चात उसकी छायाप्रति पर प्र.पी.-118 सी अंकित किया गया था। इस रजिस्टर में पीडब्लू-2 की जन्मतिथि 24.06.2005 अंकित है। चूंकि प्रस्तुत दाखिल खारिज रजिस्टर सामान्य रूप से संधारित किए जाते हैं, अतः उनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं उठाया गया है।

23. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रीतम एआईआर 2018 एस.सी. 4212 में दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है। जिसके अनुसार, "विद्यालय रजिस्टर आधिकारिक पाठ्यक्रम में रखा गया है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है, जिसे तब तक बहुत महत्व दिया जाता है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए।" इसी प्रकार, जहाँ वादी के प्राथमिक विद्यालय का प्रवेश और निवर्तन रजिस्टर उसकी जन्मतिथि के संबंध में प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ वादी के प्राथमिक विद्यालय की प्रविष्टि मान्य मानी जाएगी। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 13 सितंबर, 2012 का निर्णय - अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार-

45. हमारा मानना है कि जिस स्कूल में अभ्यर्थी ने पहली बार शिक्षा प्राप्त की थी, उसका प्रवेश रजिस्टर जन्मतिथि का एक सुसंगत साक्ष्य है। यह तर्क कि माता-पिता ने प्रवेश रजिस्टर में गलत जन्मतिथि दर्ज की होगी, इसलिए सही जन्मतिथि नहीं है, यह सोचने के समान है कि माता-पिता ने यह अनुमान लगाकर ऐसा किया होगा



कि बच्चा भविष्य में कोई अपराध करेगा और ऐसी स्थिति में, वे सफलतापूर्वक किशोर होने का दावा कर सकते हैं।

24. दाखिल खारिज रजिस्टर (प्रमाणपत्र-44 सी और प्रमाणपत्र-118 सी) के अनुसार, पीड़िता (पीडब्लू-1) की जन्मतिथि 05.09.2003 और पीड़िता (पीडब्लू-2) की जन्मतिथि 24.06.2005 दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त, घटना की तिथि 30.05.2020 है और उक्त जन्मतिथि के आधार पर आयु की गणना करने पर, पीड़िता-1 की आयु 18 वर्ष से कम और पीड़िता-2 की आयु 16 वर्ष से कम पाई गई थी। उक्त दोनों जन्मतिथियों के आधार पर भी पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम दर्शाई गई है। प्रतिपरीक्षा में प्रधानाध्यापक ने भी स्वीकार किया है कि पीड़िता के नामांतरण रजिस्टर में प्रविष्टि उनकी हस्तलिपि में की गई थी।

25. उपरोक्त सभी परिस्थितियों और दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर, यह सिद्ध होता है कि घटना के समय, पीड़िताएँ 18 वर्ष से कम आयु की एक नाबालिग लड़की थीं, जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत आती है। बच्चा परिभाषित "बालक" की श्रेणी में आता है। अतः, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अपराध कारित करने का अनिवार्य तत्व अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित होता है।

26. अब इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त कमलेश उर्फ रॉकी धृतलहरे और गोपी साहू ने पीड़िता पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 को कथित तिथि, समय और स्थान पर उनके वैध अभिभावक की सहमति के बिना उनके संरक्षकत्व से अलग कर लिया था?

27. इस प्रश्न के संबंध में, पीड़िता (पीडब्लू-1) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 30.05.2020 की रात्रि को वह पीड़िता (पीडब्लू-2) के साथ ग्राम केसला स्थित अपने घर के सामने टहल रही थी, तभी उसके मोबाइल नं. 9691533869 पर अभियुक्त कमलेश धृतलहरे का फोन आया। उसने दोनों बहनों को अपने साथ घूमने चलने को कहा और अभियुक्त गोपी को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। जब पीड़िता ने मना किया, तो अभियुक्त कमलेश धृतलहरे बार-बार फोन करने लगा और कुछ देर बाद अभियुक्त कमलेश धृतलहरे और गोपी साहू मोटरसाइकिल पर उसके घर के पास आए, फिर दोनों अभियुक्त दोनों पीड़िताओं/बहनों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अभियुक्त गोपी साहू के घर बजरंग चौक, अमेरा ले गए। वहां आधे घंटे रुकने के बाद, वे उन्हें अमेरा स्थित श्मशान घाट ले गए। अभि.सा.-2 ने यह भी बताया कि अभियुक्त कमलेश उर्फ रॉकी ने अभि.सा.-1 को मोबाइल पर कॉल किया था और फिर दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल पर आए और दोनों बहनों को अपनी मोटरसाइकिल पर अमेरा गाँव ले गए, फिर वहाँ से अमेरा के श्मशान घाट ले गए।

28. इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में यह प्रावधान किया गया है कि-



धारा 361 वैध संरक्षकता से अपहरण:-----"जो कोई किसी नाबालिग को, यदि वह पुरुष है तो [सोलह] वर्ष से कम आयु का, या [अठारह] वर्ष से कम आयु का यदि महिला है, या किसी विकृत चित्त वाले व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के वैध संरक्षक की देखरेख से, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना, ले जाता है या बहलाता है, तो उसे ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करना कहा जाता है।"

29. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि यदि दोनों अभियुक्त, अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2, कमलेश और गोपी के साथ स्वेच्छा से जाने के लिए सहमत भी हुए थे, तब भी इन अभियुक्तों को अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 के वैध अभिभावक की सहमति के बिना उन्हें रात्रि में इस प्रकार ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। यह अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अंतर्गत प्रयोग किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार, ऐसा केवल कुछ शर्तों के अधीन ही किया जा सकता था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त वैध अभिभावक की सहमति थी। यह उल्लेखनीय है कि जिस समय अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 को इन दोनों अभियुक्तों द्वारा ले जाया गया, उस समय वे अपने घर में थे, अर्थात् अपने वैध अभिभावक पिता (अभि.सा.-3) के संरक्षण में थे और पिता (अभि.सा.-3) से परीक्षा के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे पता चलता है कि उनकी सहमति से दोनों अभियुक्त अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 को रात्रि में अपने साथ ले गए थे। जहां तक अभियुक्त कमलेश धृतलहरे द्वारा मोबाइल नंबर 9826259323 से पीडब्लू-1 और 2 को मोबाइल नंबर 9691533869 पर कॉल करने का प्रश्न है, उक्त मोबाइल नंबर 9691533869 की सीडीआर (कॉल डिटेल् रिपोर्ट) (एक्स.पी.-105) से स्पष्ट है कि दिनांक 30.05.2020 की रात्रि 23:12:18 बजे से दिनांक 30.05.2020 की रात्रि 23:56:41 बजे के बीच तथा दिनांक 31.05.2020 की सुबह 00:01:20 और 00:02:40 बजे, उक्त मोबाइल नंबर 9826259323 से पीड़ितों के उक्त मोबाइल नंबर पर कुल 9 कॉल प्राप्त हुए। इस प्रकार, अंतिम कॉल 30.05.2020 को रात में 12:02:40 पर आई जिसके बाद पीड़ित अभियुक्त कमलेश और गोपी के साथ चले गए।

30. पीड़िता (पीडब्लू-1) ने आगे बताया कि सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद, अभियुक्त पीयूष बार-बार उसके मोबाइल नंबर अर्थात् पीडब्लू-1 के पिता (पीडब्लू-3) को मैसेज और कॉल करता था और दोनों बहनों को उससे मिलने आने के लिए कहता था अन्यथा वह उनका वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। 28.07.2020 को दोपहर लगभग 1:00 बजे, अभियुक्त पीयूष वर्मा ने फिर से फोन किया, तब उसने अर्थात् पीडब्लू-1 ने अपने पिता पीडब्लू-3 को घटना के बारे में बताया। फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल किया गया और फिर अगले दिन, पीड़िता (पीडब्लू-3) के पिता ने पलारी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िताओं (पीडब्लू-3) के पिता ने कहा है कि उन्होंने 29.07.2020 को शाम लगभग 7:00 बजे पलारी पुलिस स्टेशन में एक्स.पी.-9 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

31. यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि वर्तमान मामले में, अभियुक्त कमलेश और गोपी ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 पर चुंबन करके आपराधिक बल का प्रयोग किया है और दोनों 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़ितों के शरीर को यौन के आशय से छूकर उनका यौन उत्पीड़न किया है।



32. अब इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगणों ने दिनांक 30.05.2020 को उक्त दिनांक, समय एवं घटना स्थल पर 18 वर्ष से कम आयु की पीड़ित बालिकाओं के साथ बारी-बारी से बलात्कार कर घोर प्रवेशन यौन उत्पीड़न किया है?

33. इस संबंध में दोनों पीड़िताओं (पीडब्लू-1 एवं पीडब्लू-2) का कहना है कि वे सभी अभियुक्तगण शिवम वर्मा, अजय वर्मा, सोहन ध्रुव, राजेन्द्र उर्फ लाला डहरिया, जगन्नाथ यादव, उकेश उर्फ राकेश डहरिया को नाम एवं चेहरे से जानते हैं। जब अभियुक्तों को कटघरे से बाहर निकाला गया और पर्दे के पीछे पहचान की कार्यवाही की गई, तो दोनों पीड़ितों (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) ने सभी 6 अभियुक्तों की नाम से पहचान की।

34. मलखानसिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने (2003) 5 एससीसी 746 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-- ---

7. यह कहना सामान्य बात है कि मूल साक्ष्य न्यायालय में पहचान का साक्ष्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, इस न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा विधि की स्थिति सुस्पष्ट है। अभियुक्तों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत हैं। सामान्य नियम के अनुसार, किसी गवाह का मूल साक्ष्य न्यायालय में दिया गया कथन होता है। पहली बार परीक्षण में अभियुक्त की पहचान मात्र से लिया गया साक्ष्य अपने स्वभाव से ही कमजोर प्रकृति का होता है। तदनुसार, यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि अभियुक्तों की पहचान के बारे में न्यायालय में साक्षियों की शपथ-आधारित कथन की पुष्टि पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में की जाए, जो उनके लिए अजनबी हैं। हालाँकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, उदाहरण के लिए, जब न्यायालय किसी विशेष साक्षी से प्रभावित होती है जिसके कथन पर वह बिना किसी अन्य पुष्टि के सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है। पहचान परेड अन्वेषण के चरण से संबंधित है और दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अन्वेषण एजेंसी को पहचान परेड आयोजित करने के लिए बाध्य करे या अभियुक्त को इसका दावा करने का अधिकार प्रदान करता है। ये ठोस साक्ष्य नहीं हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा शासित होती हैं। पहचान परेड न होने पर पहचान के साक्ष्य को न्यायालय में अमान्य नहीं माना जाएगा। ऐसी पहचान को कितना महत्व दिया जाए, यह तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए। उचित मामलों में यह पुष्टिकरण पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। (जोर दिया गया)।”

35. इसके अलावा, दोनों पीड़िताओं के साक्ष्य यह हैं कि दोनों अभियुक्त कमलेश और गोपी के साथ अमेरा श्मशान घाट से लौटते समय उपरोक्त 6 अभियुक्तों ने तिगडुगा चौक केसला पर अपनी बाइक रोकी थी। पीड़िता (पीडब्लू-1) ने बताया कि अभियुक्त अजय वर्मा ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और इसी बीच अभियुक्त जगन्नाथ यादव ने उसे पकड़कर बाइक से नीचे उतार दिया।



इसके बाद सभी अभियुक्तों ने दोनों अभियुक्तों कमलेश धृतलहरे और गोपी साहू को पीटने की धमकी देकर भगा दिया और दोनों बहनों को हाथ-मुक्कों से पीटा। वहां सभी अभियुक्तगण ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जला ली और इसी बीच ग्राम केसला की ओर से एक ट्रैक्टर आता देख आरोपी अजय वर्मा ने ट्रैक्टर की रोशनी में पहचाने जाने के डर से पीडब्लू-2 को सड़क से नीचे झाड़ियों की ओर खींच लिया। शेष अभियुक्त पी. डब्ल्यू.-1 को सड़क के दूसरी तरफ घसीटते हुए ले गए। फिर समस्त अभियुक्तगण ने एक-एक करके दोनों बहनों के साथ बलात्कार किया। पीडब्लू-1 के अनुसार, अभियुक्तों में से एक अभियुक्त राजेंद्र डहरिया ने अन्य अभियुक्तों द्वारा दोनों बहनों के साथ बलात्कार का वीडियो बनाया। पीड़िता (पीडब्लू-1) ने आगे बताया है कि घटना के बाद दोनों बहनें बहुत दर्द में थीं और बड़ी मुश्किल से घर लौटीं।

36. पीडब्लू-2 का साक्ष्य यह है कि दोनों बहनें दो अभियुक्तों कमलेश और गोपी के साथ मोटरसाइकिल पर केसला गाँव लौट रही थीं, तभी उपरोक्त 6 अभियुक्तों ने केसला मोड़ पर ब्रेकर के पास अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। अभियुक्त अजय वर्मा ने उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ी की ओर खींच लिया और बाकी अभियुक्त उसकी बहन अभि.सा.-1 को झाड़ी की ओर ले गए। फिर सभी 6 अभियुक्तगण ने उसके और उसकी बहन के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। साक्षी के अनुसार, घटना से पहले, उनके गाँव केसला की ओर से एक ट्रैक्टर आता देख, आरोपी गोपी साहू और रॉकी धृतलहरे उसकी रोशनी में पहचाने जाने के डर से भाग गए। पीडब्लू-2 के अनुसार, उपरोक्त अभियुक्त रात के लगभग 3:00 बजे तक दोनों बहनों के साथ गलत काम करते रहे। पीड़िता (अभि.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षा के कंडिका 24 में पूछे जाने पर स्वीकार किया कि घटनास्थल पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन स्वेच्छा से बताया कि चांदनी रात थी। दोनों बहनों की परीक्षण में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे यह संदेह पैदा हो कि घटना के समय वे दोनों जीवित थीं।

37. पीड़ितों के पिता (पीडब्लू-3) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि दिनांक 28.07.2020 को दोपहर 1:00 बजे के बाद घटना की जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल पलारी थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, वे स्वेच्छा से कहते हैं कि उन्हें इस पर विचार करना है। वह स्वीकार करता है कि उसने अगले दिन 29.07.2020 की सुबह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की। वह स्वेच्छा से कहता है कि पीडब्लू-1 और उसकी माँ दोनों बलौदाबाजार (सखी सेंटर में) में थे और वह उनका इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वह सुबह रिपोर्ट नहीं कर सका। वह स्वीकार करता है कि रिपोर्ट दर्ज करने से पहले परिवार ने चर्चा की थी और स्वीकार करता है कि अभियुक्त अजय वर्मा और शिवम वर्मा उसके पड़ोसी हैं। इस प्रकार यह साक्षी भी विश्वसनीय साक्षी माना जाता है।

38. अब यदि हम पटवारी सुखीराम साहू (अ.सा.-7) द्वारा प्रमाणित घटनास्थल के मानचित्र (प्र.सा.-3) को देखें तो इसमें पीड़िता (अ.सा.-2) के साथ बलात्कार लाल स्याही से A चिन्हित स्थान पर तथा पीड़िता (अ.सा.-1) के साथ बलात्कार लाल स्याही से B1, B2 तथा B3 चिन्हित स्थान पर दर्शाया गया है तथा दोनों के बीच में एक सड़क है। साक्षी के अनुसार, उसने पीड़ितों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त नक्शा



बनाया था। अभिलेख में उक्त नक्शे और पीड़ितों के साक्ष्य के बीच कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है, बल्कि पीड़ितों के साक्ष्य उक्त नक्शे द्वारा समर्थित हैं। पुलिस उपाधीक्षक मिलिंद पांडे (पीडब्लू-16) ने कथन किया है कि नक्शा (एक्स.पी.-2) उन्होंने पीड़ितों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बनाया था और यह नक्शा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार भी है।

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 एससीसी 675 के मामले में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया ---

"बलात्कार समाज में नैतिक और शारीरिक रूप से सबसे निंदनीय अपराध है, क्योंकि यह पीड़िता के शरीर, मन और निजता पर हमला है। जहाँ एक हत्यारा पीड़िता के शारीरिक ढाँचे को नष्ट करता है, वहीं एक बलात्कारी एक असहाय स्त्री की आत्मा को अपमानित और कलंकित करता है। बलात्कार एक स्त्री को पशु बना देता है, क्योंकि यह उसके जीवन की जड़ तक हिला देता है। किसी भी तरह से बलात्कार पीड़िता को सह-अपराधी नहीं कहा जा सकता है। बलात्कार पीड़िता के जीवन पर एक स्थायी निशान छोड़ जाता है, और इसलिए बलात्कार पीड़िता को घायल गवाह से भी ऊँचा स्थान दिया जाता है। बलात्कार पूरे समाज के विरुद्ध एक अपराध है और पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। सबसे घृणित अपराध होने के कारण, बलात्कार एक महिला के सर्वोच्च सम्मान पर एक गंभीर आघात के समान है, और उसके सम्मान और गरिमा दोनों को ठेस पहुँचाता है। यह पीड़िता को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुँचाता है, और उस पर अमिट छाप छोड़ जाता है।"

40. उपरोक्त दिशानिर्देशों को उपरोक्त संदर्भ में ध्यान में रखते हुए, यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त राजेंद्र उर्फ लाला डहरिया द्वारा उपरोक्त घटना की पुष्टि की गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि घटना के समय अभियोगी-14 द्वारा अपने रेडमी 6 प्रो मोबाइल फोन पर बनाया गया वीडियो प्रदर्श-ए के रूप में दर्शाया गया है, जिसका डेटा साइबर सेल पुलिस अधिकारी (अभियोगी-14) द्वारा अन्वेषण के दौरान प्राप्त किया गया था और उसे साक्ष्य के रूप में विधिवत प्रस्तुत भी किया गया है। अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जब प्रदर्श-ए में मौजूद उक्त वीडियो क्लिप और चित्र पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 को उनकी परीक्षण के दौरान दिखाए गए, तो उन्होंने पुष्टि की कि वीडियो क्लिप और चित्र घटना के थे, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि होती है।

41. उप पुलिस अधीक्षक/अन्वेषणकर्ता मिलिंद पांडे (पीडब्लू-16) (तत्कालीन थाना प्रभारी, पलारी) ने बताया कि उनके द्वारा राजेन्द्र उर्फ लाला डहरिया का रेडमी 6 प्रो कंपनी का मोबाइल जब्ती पत्र (एक्स.पी.-16) के अनुसार दिनांक 29.07.2020 को जब्त किया गया था तथा अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ लाला डहरिया के उक्त मोबाइल (प्रदर्श-ए) को कुल 9 जब्त मोबाइलों के साथ मेमोरेंडम (एक्स.पी.-65) के माध्यम से साइबर सेल, बलौदाबाजार को उसमें मौजूद डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा गया था तथा कुल 28 खाली हार्ड डिस्क भी भेजे गए थे। साक्षी के अनुसार, उसके द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया गया था जो प्र.पी.-99 है।



उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल (पीडब्लू-19) के अनुसार, उन सभी 9 मोबाइलों को प्र.पी.-113 के पत्र दिनांक 18.08.2020 के माध्यम से हार्ड डिस्क के साथ सीलबंद हालत में पुलिस मुख्यालय, रायपुर भेजा गया था।

42. इस संबंध में उक्त लैब में पदस्थ पुलिस उपनिरीक्षक विक्रम ध्रुव (पीडब्लू-14) का साक्ष्य है कि वे वर्ष 2012 से सायबर लैब में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। साक्षी के अनुसार दिनांक 10.08.2020 को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं/दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर द्वारा उनके पास से जब्त कुल 9 मोबाइल फोन की जांच कर उनका अभिमत मांगा गया, जो पत्रांक (प्र.पी-65) है। साक्षी के अनुसार, उसने सीलबंद रेडमी कंपनी के मोबाइल प्रदर्श-ए (राजेंद्र उर्फ लाला डहरिया से जब्त) की जांच की थी, जिसका मॉडल नंबर 6 प्रो और IMEI नंबर 861454041292779, 861454041292787 था, जिसे प्रदर्श-ए के रूप में उल्लेखित किया गया था। साक्षी के अनुसार, उक्त मोबाइल की जांच के लिए UFED VER. 7.34 सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था और इसका परीक्षण UFED सिस्टम के माध्यम से किया गया था। सिस्टम विधि द्वारा फ़ाइल निष्कर्षण किया गया जिसमें कॉल लॉग, संपर्क, व्हाट्सएप चैट, इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन, ऑडियो, वीडियो इमेज और डिलीट किए गए डेटा को पुनर्प्राप्त किया गया। साक्षी के अनुसार, उसने अन्वेषण के दौरान पाया कि राजेंद्र उर्फ लाला डहरिया से जब्त रेडमी कंपनी के मोबाइल से प्राप्त डेटा में उक्त प्रदर्श-ए में बलात्कार से संबंधित वीडियो और इमेज शामिल थे, जो संदिग्ध नामक फ़ोल्डर में सेव थे। इस संबंध में, साक्षी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रदर्श पी.-67 के रूप में अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रमाण पत्र पर, पी.डब्लू.-14 का साक्ष्य यह है कि उक्त प्राप्त आंकड़ों की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के मूल स्वरूप को विकृत किए बिना पेन ड्राइव में तैयार की गई है। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया है कि वे प्रमाणित करते हैं कि सम्पूर्ण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा प्रमाण पत्र में उल्लिखित तथ्य उनकी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी की अपेक्षाओं के अनुसार विधिवत सिद्ध होने के कारण, स्वीकार्य है। यह उल्लेखनीय है कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की जांच (कैमरा कार्यवाही) के दौरान, उन्हें उक्त प्रदर्श ए के मोबाइल से प्राप्त डेटा, अर्थात् वीडियो क्लिप और चित्र दिखाए गए थे। जब पीडब्लू-1 को आरोप-पत्र के साथ संलग्न 32 जीबी पेनड्राइव (आर्टिकल-ए) के संदिग्ध फोल्डर में मौजूद VID_20200531_023449.mp4.vdmpvf दिखाया गया, तो उसे कंप्यूटर पर चलाने पर उसने बताया कि उसमें दिख रही लड़की उसकी बहन (पीडब्लू-2) है और उसने बताया कि वह लड़के को पहचान नहीं सकता, क्योंकि वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। इसी प्रकार, जब उक्त आर्टिकल-क में उपस्थित VID_20200531_025408.mp4.vdmpvf को कंप्यूटर पर चलाया गया, तो साक्षी ने बताया कि उसमें दिख रही लड़की वह स्वयं है तथा उसने लड़के की पहचान अभियुक्त राजेश डहरिया (वास्तव में उकेश उर्फ राकेश डहरिया) के रूप में की। यह उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के दौरान राजेश डहरिया गलत टाइप किया गया था, लेकिन साक्षी-1 और साक्षी-2 के परीक्षण के दौरान राजेश डहरिया को उकेश उर्फ राकेश डहरिया



मानकर उससे जिरह की गई। इसके अलावा, न्यायालय में भी पीड़ितों ने मौजूद आरोपी उकेश उर्फ राकेश की पहचान की है। VID_20200531_023215.mp4.vdmpvf दिखाए जाने पर, साक्षी ने कहा है कि उसमें दिख रही लड़की वह स्वयं और अभियोगी-2 है। उसने उसमें दिख रहे एक लड़के की पहचान आरोपी जगन्नाथ यादव के रूप में की है, जिसने ऊपरी कपड़े नहीं पहने थे। उसी फ़ोल्डर में मौजूद photo_blob.o_embedded_315.jpg दिखाए जाने पर, साक्षी ने कहा है कि उसमें दिख रही लड़की वह स्वयं है। कंप्यूटर में photo_blob.o_embedded_316.jpg और photo_blob.o_embedded_318.jpg दिखाए जाने पर, साक्षी ने उसमें दिख रही लड़की की पहचान स्वयं के रूप में और लड़के की पहचान अभियुक्त राजेश डहरिया (वास्तव में उकेश उर्फ राकेश डहरिया) के रूप में की है। जब कम्प्यूटर में फोटो ब्लॉब.ओ_एम्बेडेड_319.जेपीजी दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि इसमें दिख रही लड़की पीडब्लू-2 है।

43. इसी प्रकार, अभि० सा०-2 के परीक्षण के दौरान, जब 32GB पेनड्राइव आर्टिकल-A1 में मौजूद VID_20200531_023449.mp4.vdmpvf युक्त वीडियो को कम्प्यूटर पर चलाया गया, तो साक्षी ने बताया कि उसमें दिखाई देने वाली लड़की वह स्वयं थी तथा लड़का अभियुक्त अजय वर्मा था। उसने वही साक्ष्य दिए हैं जो अभि० सा०-1 ने दिए हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया है कि घटना स्थल पर दिखाई देने वाली मोटर साइकिल अभियुक्त गोपी साहू एवं कमलेश धृतलहरे की है। फोटोग्राफ 315.jpg, 316.jpg और 318.jpg तथा 319.jpg के संदर्भ में दोनों बहनों के साक्ष्य एक जैसे हैं।

44. इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य अभियोगी-1 और अभियोगी-2 के साक्ष्य की पुष्टि करता है कि दोनों बहनों घटनास्थल पर मौजूद थीं। यद्यपि इसमें सभी 6 अभियुक्तगण दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल आरोपी राजेश डहरिया (वास्तव में उकेश उर्फ राकेश डहरिया), जगन्नाथ यादव, अजय वर्मा और शिवम वर्मा दिखाई दे रहे हैं, अतः स्वाभाविक है कि रिकॉर्डिंग वैसी ही है जैसी घटना के समय की गई थी। यही कारण है कि आरोपी सोहन ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा है और आरोपी राजेंद्र उर्फ लाला डहरिया दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वह अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, कुछ अभियुक्तों के हाथों में बेल्ट और डंडे भी थे। एक अभियुक्त ने ऊपरी वस्त्र भी नहीं पहने थे। ये तथ्य अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करते हैं।

45. अब प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य की बात करें तो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पलारी, जिला- बलौदाबाजार (पीडब्लू-12) में पदस्थ डॉ. अनीता वर्मा के अनुसार, दिनांक 30.07.2020 को दोपहर 1:00 बजे महिला प्रहरी लीला साहू, पीडब्लू-2 को परीक्षण के लिए लेकर आई थीं। पीडब्लू-12 के अनुसार, पीड़िता का अंतिम मासिक धर्म परीक्षण से 8-10 दिन पहले हुआ था। इसी प्रकार, पीडब्लू-12 के अनुसार, उसने पीडब्लू-1 की दोपहर 1:25 बजे जाँच की थी, उसका अंतिम मासिक धर्म भी परीक्षण से 8-10 दिन पहले हुआ था। साक्षी के अनुसार, दोनों पीड़ितों के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, जो स्वाभाविक है यदि घटना के दो महीने बाद भी ये निशान मौजूद न हों। इसके अलावा, पीडब्लू-12 ने कहा है कि दोनों पीड़ितों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण सामान्य रूप से विकसित हुए थे। साक्षी के अनुसार, दोनों की योनिच्छद पुरानी और भरी हुई थी,



जिसकी अवधि कम से कम तीन सप्ताह से अधिक थी।साक्षी के अनुसार, उसे किसी भी पीड़िता में तत्काल संभोग का कोई संकेत नहीं मिला, जो स्वाभाविक है।उसने दोनों के योनि और योनि स्राव से दो स्लाइड तैयार कीं, उन्हें सील किया और रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल रायपुर भेजने हेतु महिला कांस्टेबल को सौंप दिया।पीडब्लू-12 ने अपनी परीक्षण रिपोर्ट (प्रत्यक्ष अभियोगी-54,55) में कहा है कि उसने ए टू ए पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिपरीक्षा में, उसने इस बात का खंडन किया कि योनिच्छद क्षतिग्रस्त होने के बाद, उसका घाव 15 दिनों के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है।उसने आगे कहा कि पीड़िता अभियोगी-1 की योनि की चोट कम से कम 21 दिन पुरानी थी।इस प्रकार, यह चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष की कहानी की आंशिक रूप से पुष्टि करता है।उल्लेखनीय है कि एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी.-120) के अनुसार, यदि जब्त स्लाइड में मानव शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं, तो घटना के 2 महीने बाद उनका पता न लगना स्वाभाविक माना जाएगा।

46. इसके बाद, उपरोक्त सभी 6 आरोपी यौन संबंध बनाने में सक्षम थे, इसकी पुष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पलारी में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ डॉ. बी.एस. ध्रुव (पीडब्लू-13) ने की है, जिन्होंने 30.07.2020 को उपरोक्त सभी 6 आरोपियों की जांच करने पर यह प्रमाणित किया है कि उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूर्णतः विकसित थे, शिश्न तंतु अनुपस्थित थे और वे सभी यौन संबंध बनाने में सक्षम थे और यौन संबंध बनाने के आदी थे।

47. अतः, जहाँ तक एफआईआर (प्रत्यक्ष पी.-9) में देरी का प्रश्न है, यह सत्य है कि इस मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, 30.05.2020 और 31.05.2020 की मध्य रात्रि को घटित घटना की एफआईआर 29.07.2020 को दर्ज की गई थी।इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद 2001 एससीसी (सीआरपीसी) 980 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

"एफआईआर दर्ज करने में देरी के स्पष्टीकरण की सराहना के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कानूनी प्रस्ताव रखा गया है। एफआईआर दर्ज करने में विलंब को अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने और उसे खारिज करने के लिए एक औपचारिक सूत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। विलंब का प्रभाव न्यायालय को यह देखने के लिए सतर्क करना है कि क्या कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, और यदि दिया गया है, तो वह संतोषजनक है या नहीं।यदि अभियोजन पक्ष विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है और ऐसे विलंब के कारण अभियोजन पक्ष के बयान में बढ़ा-चढ़ाकर बयान दिए जाने की संभावना है, तो यह विलंब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा।तथापि, यदि विलंब का स्पष्टीकरण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार कर दिया जाता है, तो यह अपने आप में अविश्वास करने और अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता है।यह सर्वविदित है और न्यायिक रूप से भी उल्लेखित तथ्य है कि बलात्कार जैसी घटनाएं, विशेष रूप से जब अपराधी परिवार का सदस्य या उससे संबंधित होता है, परिवार के सम्मान से जुड़ी होती हैं और इसलिए पीड़ित परिवार की ओर से मामले की सूचना पुलिस को देने और इसे तक



ले जाने में अनिच्छा होती है। जब अभियुक्त बलात्कार पीड़िता के पिता का करीबी रिश्तेदार होता है, और पीड़िता की मां को ससुराल वालों का समर्थन नहीं मिला, जिन्होंने परिवार की चारदीवारी के भीतर मामले को सुलझाने की कोशिश की, और पीड़िता की मां को गांव के पंचों के नैतिक समर्थन के कारण एफआईआर दर्ज की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध के तुरंत बाद घटनाओं के क्रम से एफआईआर दर्ज करने में देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया गया था।"

48. इसी तरह, तारा सिंह और अन्य बनाम के मामले में पंजाब राज्य एआईआर 1991 एससी 63 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि- "जब तक मनगढ़ंत होने के संकेत न हों, न्यायालय एफआईआर के अनुसार अभियोजन पक्ष के संस्करण को अस्वीकार नहीं कर सकती है। जहां अभियुक्तों के नामों का लगातार उल्लेख किया गया था, वहां यह मानने का कोई आधार नहीं था कि एफआईआर बाद में जांच के दौरान अस्तित्व में लाई गई थी और रिपोर्ट दर्ज करने में केवल विलंब से प्रतिकूल निष्कर्ष की गुंजाइश नहीं हो सकती है जिससे अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है।

49. अब उपरोक्त दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए, पी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उसने अभियुक्त जगन्नाथ से कहा कि वह घटना के बारे में पुलिस को सूचित करेगी, तो जगन्नाथ ने कहा था कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा तथा अभियुक्त जगन्नाथ और अजय वर्मा ने यह भी धमकी दी थी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे उसके बलात्कार का वीडियो वायरल कर देंगे। पीडब्ल्यू.-2 ने यह भी कहा है कि उपरोक्त दो अभियुक्तों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पी.डब्ल्यू.-1 ने यह भी बताया कि घटना के बाद आरोपी अजय वर्मा कौशल ध्रुव उसके घर ग्राम केसला आया था तथा उसे धमकी दी थी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे लोग पहले भी हत्या कर चुके हैं तथा दोबारा भी हत्या करने में देरी नहीं करेंगे तथा यह भी कहा था कि वे दोनों बहनों को किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं लेने देंगे। अब यदि हम उपरोक्त धमकियों और इस तथ्य को ध्यान में रखें कि मामले में पीड़ित नाबालिग लड़कियां हैं, तो उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटने के बाद उनका डर जाना और शर्म व डर के कारण घटना के बारे में किसी को न बताना स्वाभाविक लगता है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के बाद आरोपी पीयूष वर्मा ने लगातार दोनों पीड़िताओं पर दबाव बनाया कि वे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, अन्यथा उसके पास घटना का वीडियो है जिसे वह वायरल कर देगा, तब पीड़िताओं ने अपने पिता (पीडब्ल्यू.-3) को घटना के बारे में बताया और फिर मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इस संबंध में अभि.सा.-2 ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 4 में बताया है कि घटना के दूसरे दिन अभि.सा.-1 अपनी माँ के साथ तेलासी गाँव गई थी और घर पर केवल वह, अर्थात् अभि.सा.-2 और उसका भाई ही मौजूद थे। तब उसी दिन अभियुक्त पीयूष वर्मा उसके घर के सामने आया और उसके पिता अभि.सा.-3 के मोबाइल (रिलायंस जियो कंपनी का सिम नं. 6260234802) पर कॉल किया और जब अभि.सा.-1 ने कॉल रिसीव किया तो उसने कहा कि उसके पास घटना का वीडियो है और अगर वह उससे मिलने नहीं आई तो वह उस वीडियो को वायरल कर देगा। इसके बाद भी अभियुक्त पीयूष वर्मा लगातार कॉल करता रहा।



दिनांक 28.07.2020 को दोपहर 2 बजे अभियुक्त पीयूष वर्मा ने अभि.सा.-1 को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। उसने आगे बताया कि जब आरोपी पीयूष वर्मा उसके पिता पीडब्लू-3 के मोबाइल नंबर पर कॉल करता था, तो उसके पिता के कॉल आने पर वह बात नहीं करता था, लेकिन जब दोनों बहनों में से किसी एक के पास कॉल आती थी, तो आरोपी पीयूष वर्मा बात करता था। पीडब्लू-1 के अनुसार, 28-07-2020 को आरोपी पीयूष वर्मा ने कॉल करके कहा कि दोनों बहनें उससे मिलने आएँ। तब उसने अपने पिता को घटना के बारे में बताया और फिर उसी दिन दोपहर 02:30 बजे उसने सखी सेंटर के नंबर 181 पर कॉल करके घटना की सूचना दी। इस संबंध में सूचना दी गई। उसी दिन शाम को सखी सेंटर के लोग घर आए और उसे, यानी पीडब्लू-1 और उसकी माँ को सखी सेंटर ले गए। अगले दिन, पीडब्लू-2 सखी सेंटर गई। तब पीड़ितों के पिता (पीडब्लू-3) ने पलारी थाने जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस संबंध में, बचाव पक्ष के सुझाव पर, पुलिस उपाधीक्षक मिलिंद पांडे (पीडब्लू-16) ने स्वयं स्वीकार किया है कि दोनों पीड़ित संयुक्त रूप से मोबाइल नंबर 9691533869 का उपयोग करते थे। यह भी स्वीकार किया गया है कि पीड़ितों के पिता, पीडब्लू-3, का मोबाइल नंबर 9753589823 है। इसके अलावा, गवाह ने स्वेच्छा से स्पष्ट किया है कि दोनों पीड़ित अपने पिता के मोबाइल नंबर का भी उपयोग करते थे। इस प्रकार, दोनों पीड़ितों द्वारा उक्त मोबाइल नंबर 9691533869 का उपयोग चुनौती रहित रहा है, लेकिन इसे स्वीकार कर लिया गया है।

50. पीड़िता के पिता (पीडब्लू-3) ने भी यही साक्ष्य दिया है कि दिनांक 28-07-2020 को दोपहर लगभग 01:00 बजे अभियुक्त पीयूष वर्मा ने उनके मोबाइल नम्बर 6260234802 पर कॉल किया, जिसे पीडब्लू-1 ने रिसीव किया और फिर पीयूष वर्मा द्वारा शारीरिक सम्बन्ध बनाने के दबाव से तंग आकर पीडब्लू-1 ने उन्हें यानि अपने पिता को सम्पूर्ण घटना विस्तार से बताई।

51. अब, जहाँ तक अभियुक्त पीयूष वर्मा द्वारा उपरोक्त कॉल किये जाने का प्रश्न है, उनके द्वारा प्रयुक्त मोबाइल नम्बर 8305348806 से सम्बन्धित सीडीआर (एक्स.पी.-75) को रिलायंस जियो कम्पनी के नोडल अधिकारी संजीव नेमा (पीडब्लू-18) के धारा 65 बी अन्तर्गत प्रमाण पत्र (एक्स.पी.-73) के आधार पर उपरोक्त कंडिका में प्रमाणित माना गया है। उक्त सीडीआर (एक्स.पी.-75) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पीयूष वर्मा ने मोबाइल नम्बर 8305348806 से मोबाइल नम्बर 6260234802 (पिता पीडब्लू-3 द्वारा संचालित) पर कॉल किया था।

52. इस सम्बन्ध में पी.डब्लू.-1 का साक्ष्य यह है कि किसी अभियुक्त ने उसके पिता (पी.डब्लू.-3) का मोबाइल नम्बर अभियुक्त पीयूष को दिया था, जिस पर पीयूष बार-बार मैसेज व कॉल करके पीड़ितों से कहता था कि वे उससे मिलने आएँ, अन्यथा वह उनका वीडियो वायरल कर देगा। पीडब्लू-1 के अनुसार, जब अभियुक्त पीयूष वर्मा उसके पिता के मोबाइल नंबर पर कॉल करता था और उसके पिता (पीडब्लू-3) मोबाइल उठाते थे, तो वे बात नहीं करते थे, लेकिन जब वह अर्थात् पीडब्लू-1 या उसकी बहन पीडब्लू-2 मोबाइल उठाती थीं, तब अभियुक्त पीयूष वर्मा बात करता था। पीडब्लू-1 आगे कहती है कि 28-07-2020 को



अभियुक्त पीयूष वर्मा ने कॉल करके कहा कि दोनों बहनें उससे मिलने आएँ, तब उसने अर्थात् पीडब्लू-1 ने अपने पिता पीडब्लू-3 को घटना के बारे में बताया

53. इस संबंध में पीडब्लू-2 का साक्ष्य यह है कि घटना के अगले दिन उसकी बहन पीडब्लू-1 अपनी माँ के साथ तेलासी गाँव गई थी। वह अर्थात् पीडब्लू-2 और उसका भाई गाँव केसला में अपने घर पर थे। तो उसी दिन, अभियुक्त पीयूष वर्मा उनके सामने आया और उसके पिता के मोबाइल पर कॉल किया, जिसे उसने अर्थात् पीडब्लू-2 ने रिसीव किया। फिर अभियुक्त पीयूष वर्मा ने उससे कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने घटना का वीडियो अपने पास रख लिया है और अगर वह उससे मिलने नहीं आई तो वह उसे वायरल कर देगा। पीडब्लू-2 के अनुसार, इसके बाद भी अभियुक्त पीयूष वर्मा उन्हें कॉल करते थे। इस प्रकार, उक्त साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त पीयूष वर्मा ने घटना के तुरंत पश्चात् पीड़ितों को फोन करना शुरू कर दिया। उपरोक्त सिद्ध हो चुका है कि दिनांक 30 और 31.05.2020 की मध्य रात्रि को हुई घटना के पश्चात्, अभियुक्त पीयूष वर्मा के मोबाइल फोन से पीड़ितों के पिता (पीडब्लू-3) के मोबाइल फोन पर दिनांक 02.06.2020 को 21:39:32 बजे से 21:39:55 बजे के मध्य कॉल की गई थी और यह बातचीत कुल 24 सेकंड तक चली थी। इसी प्रकार, उपरोक्त यह भी सिद्ध हो चुका है कि उसके बाद अभियुक्त पीयूष द्वारा पिता (पीडब्लू-3) के मोबाइल फोन पर दिनांक 28.07.2020 तक लगातार कॉल और मिसड कॉल किए गए थे। इस प्रकार, उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य द्वारा पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य की पुष्टि होती है। यह सत्य है कि अभियुक्त पीयूष वर्मा द्वारा 28.07.2020 से पहले फोन करने का तथ्य एफआईआर तथा साक्षियों के पुलिस बयानों में नहीं है, लेकिन पीड़ितों के न्यायिक साक्ष्य बताते हैं कि अभियुक्त पीयूष वर्मा घटना के बाद से उन्हें लगातार फोन कर रहा था और यदि इस साक्ष्य की पुष्टि उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से होती है, तो इस पर विश्वास किया जाएगा। इन समस्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में एफआईआर (प्रत्यक्ष पी.-9) दर्ज करने में हुई देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट माना जाएगा तथा एफआईआर (प्रत्यक्ष पी.-9) पर विश्वास किया जाएगा। इस प्रकार, सामूहिक बलात्कार की घटना के संबंध में दोनों पीड़िताओं के साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय हैं।

54. मनीषा तिवारी, प्रबंधक, 181 महिला हेल्पलाइन, छत्तीसगढ़, रायपुर (पीडब्लू-10) ने बताया कि दिनांक 28-07-2020 को समय 14:55 बजे, पीडब्लू-1 ने मोबाइल नं. 6260234802 से महिला हेल्पलाइन नं. 181 पर कॉल किया तथा बताया कि जून 2020 के प्रथम सप्ताह में 10 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया तथा वीडियो बना लिया। पीडब्लू-1 ने यह भी बताया कि उसने अपने परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी है तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे जबरन मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। अभि.सा.-10 के अनुसार, अभि.सा.-1 ने महिला हेल्पलाइन से आवश्यक सहायता मांगी थी। अभि.सा.-1 ने सामूहिक बलात्कार में शामिल अभियुक्तगण में अजय वर्मा और शिवम वर्मा के नाम बताए थे। अभि.सा.-10 ने उपरोक्त केस लॉग फाइल (एक्स पी./.-45) दी है। इसके अलावा, पीडब्लू-10 के अनुसार, दिनांक 30-07-2020 को 17:05 बजे, पीडब्लू-1 की माँ ने मोबाइल नंबर 8770011591 से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके बताया कि पीडब्लू-1 के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटी है, जिसका प्रकरण दर्ज किया गया है,



लेकिन उक्त प्रकरण प्रकाश में आने के बाद, उसकी छोटी बेटा पीडब्लू-2 ने उसे बताया कि उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार की घटना घटी है। इस साक्षी ने दिनांक 28-07-2020 को 181 पर प्राप्त कॉल के कॉल विवरण अभिलेख (सीडीआर) की मूल प्रति एक्स.पी.-47 के रूप में प्रस्तुत की है। इस प्रकार, पीडब्लू-10 का साक्ष्य पीडब्लू-1 और पीडब्लू-10 द्वारा एक ही घटना के संबंध में महिला हेल्पलाइन पर की गई कॉल से संबंधित है। इसके अलावा, पीडब्लू-10 का साक्ष्य इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकरण फाइल की मूल प्रति और वास्तविक समय डेटा प्र.पी.-48 के अनुसार थाना प्रभारी पलारी को उपलब्ध कराया गया था और इसका वॉयस रिकॉर्ड प्र.पी.-49 है।

55. कलेक्टोरेट परिसर बलौदाबाजार स्थित सखी सेंटर की केन्द्र प्रशासक तूलिका परगनिहा (पी.डब्लू.-6) ने साक्ष्य दिया है कि दिनांक 28-07-2020 को शाम लगभग 04:00 बजे उनके निजी मोबाईल नं. 8103483736 पर महिला हेल्पलाइन 181 रायपुर से फोन आया जिसमें बताया गया कि लगभग 02 माह पूर्व ग्राम केसला, थाना- पलारी की एक बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था तथा आज शाम 06:00 बजे पुनः ऐसी ही घटना घटित होने की संभावना है। ई-मेल के माध्यम से घटना की सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ग्राम केसला जाकर पीड़िता पी.डब्लू.-1 एवं उसकी माँ को सखी वन स्टॉप सेंटर, बलौदा बाजार लाकर सुरक्षित रखा गया।

56. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि दोनों पीड़ित, अभि० सा०-1 एवं अभि० सा०-2, अभियुक्त कमलेश एवं गोपी के साथ रात्रि में अपनी मोटर साइकिल पर अमेरा से अपने गाँव केसला लौट रहे थे, तभी उपरोक्त 6 अभियुक्तों, अजय वर्मा, शिवम वर्मा एवं जगन्नाथ यादव, सोहन ध्रुव, राजेन्द्र कुमार एवं उकेश उर्फ राकेश डहरिया ने मोटर साइकिल को बलपूर्वक रोक लिया और दोनों पीड़ितों को जबरन नीचे उतार दिया। रास्ते में रोके जाने के कारण दोनों पीड़ित अपने घर नहीं जा सके, जहाँ जाने का उन्हें अधिकार था। इस संबंध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 339 में सदोष बाधा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—
धारा 339- जो कोई स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को इस प्रकार बाधित करता है कि उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके जिसमें उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, उसे सदोष रूप से उस व्यक्ति को रोकना कहा जाता है।

57. इस प्रकार, अभियोक्ता-1 और अभियोक्ता-2 को रोकने में उक्त 6 अभियुक्तों का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अंतर्गत अपराध बनता है। इसी प्रकार, उक्त 6 अभियुक्तों का घटनास्थल पर एक साथ उपस्थित होना और उन सभी द्वारा दोनों पीड़िताओं अभियोक्ता-1 और अभियोक्ता-2 के साथ बारी-बारी से बलात्कार करना इस तथ्य को सिद्ध करता है कि उक्त 6 अभियुक्तों द्वारा केवल अभियोक्ता-1 और अभियोक्ता-2 के साथ यौन संबंध बनाने के लिए एक समूह बनाया गया था और फिर इस समूह के सभी सदस्यों ने अभियोक्ता-1 और अभियोक्ता-2 के साथ बलात्कार किया। इन दोनों पीड़ितों में से, पी.डब्लू.-1 की आयु घटना की तिथि को 18 वर्ष से कम तथा पी.डब्लू.-2 की आयु घटना की तिथि को 16 वर्ष से कम होना, उपरोक्त मामले में पहले ही सिद्ध हो चुका है।



58. मामले के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, धारा 375 एवं 376(3), 376-डी एवं 376-डीए के अंतर्गत अपराध निम्नलिखित प्रावधानित करता है -

धारा 375। किसी पुरुष को "बलात्कार" करने वाला तब कहा जाता है जब वह (क) किसी भी सीमा तक अपने लिंग को किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; निम्नलिखित सात में से किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है:- **XXXXXXX**

छठा - उसकी सहमति से या बिना सहमति के, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की हो

XXXXXXX

परंतु कि कोई महिला जो प्रवेश के कार्य का शारीरिक रूप से विरोध नहीं करती है, उसे केवल इस तथ्य के आधार पर यौन क्रियाकलाप के लिए सहमति देने वाला नहीं माना जाएगा।

धारा 376(3) - जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और उचित होगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।

धारा 376(डी) - सामूहिक बलात्कार- जहां किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर या समान इरादे से कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने वाला माना जाएगा और उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;

परंतु कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और उचित होगा: इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।

धारा 376-डीए - जहाँ सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर या समान आशय से कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति



को बलात्कार का अपराध करने वाला माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास, जिसका अर्थ है व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

59. पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि

धारा 6- गंभीर प्रवेशन यौन हमले के लिए दंड- जो कोई भी गंभीर प्रवेशन यौन हमला करता है, उसे कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी देना होगा।

60. पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत "प्रवेशन यौन हमला" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि-

(क) वह अपने लिंग को किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रविष्ट कराता है या बच्चे को अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए विवश करता है; या

(ख) वह किसी भी सीमा तक किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग को, जो लिंग नहीं है, बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रविष्ट कराता है या बच्चे को अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या

(ग) वह बच्चे के शरीर के किसी भाग को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर जाए या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए विवश करता है; या

(घ) वह बच्चे के लिंग, योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या बच्चे को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए विवश करता है।

61. पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 में "गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले" के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि

-

XXXXXX

(छ) जो कोई भी किसी बच्चे पर सामूहिक यौन हमला करता है।

स्पष्टीकरण-जब किसी बालक पर समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए लैंगिक हमला किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस खंड के अर्थ में सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, मानो वह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया था।

62. इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण अजय वर्मा, शिवम वर्मा, जगन्नाथ यादव, सोहन ध्रुव, राजेन्द्र कुमार एवं उकेश उर्फ राकेश डहरिया ने दिनांक



30.05.2020 की रात्रि 11:00 बजे से दिनांक 31.05.2020 की प्रातः 3:00 बजे के मध्य अभि० सा०-1 एवं अभि० सा०-2 का मार्ग स्वेच्छा से बाधित किया तथा उन दोनों को उस दिशा में जाने से रोका, जिस दिशा में जाने का उन्हें अधिकार था। इस प्रकार अभि० सा०-1 एवं अभि० सा०-2 को स्वेच्छा से एवं सदोष बाधा पहुंचाने के कारण उपरोक्त सभी 6 आरोपीगण अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अंतर्गत दोषसिद्धि के भागी हैं।

63. पीड़िताओं (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उन्होंने घटना को लगभग 2 महीने तक सभी से छिपाए रखा क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि इस धमकी का दोनों नाबालिग लड़कियों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद, उन्होंने इसे अपने मन में किस तरह दबाया होगा, यह तो वे ही समझ सकते हैं। यदि वे घटना के बाद अपने माता या पिता के साथ किसी रिश्तेदार के घर या कहीं और चले गए होंगे, तो यह स्वयं को सामान्य बनाए रखने का उनका प्रयास ही माना जाएगा ताकि किसी को कुछ पता न चले। इस प्रकार, अभियोग-1 और अभियोग-2 दोनों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 506-बी का अपराध सिद्ध मानते हुए, उपरोक्त सभी 6 अभियुक्त इस आरोप के लिए भी दोषसिद्धि के पात्र हैं।

64. भारतीय समाज में, पुष्टि के अभाव में यौन उत्पीड़न की पीड़िता के कथन पर कार्रवाई करने से इनकार करना, नियमतः जले पर नमक छिड़कने के समान है। भारत के परम्परागत रूप से बंधे गैर-अनुमतिवादी समाज में कोई लड़की या महिला यह स्वीकार करने में भी बहुत हिचकिचाएंगी कि उसके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी थी, जो उसकी पवित्रता पर प्रश्नचिह्न लगाती हो। वह समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के खतरे के प्रति सचेत होगी और जब इन कारकों के सामने अपराध प्रकाश में आता है, तो अंतर्निहित आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत नहीं बल्कि वास्तविक है। जिस प्रकार एक गवाह जिसने ऐसी चोट झेली है, जिसे दिखाया नहीं गया है या जिसे स्वयं द्वारा पहुँचाया जाना नहीं माना गया है, वह इस अर्थ में सबसे अच्छा गवाह है कि उसके द्वारा वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करने की संभावना सबसे कम है, उसी प्रकार यौन अपराध की पीड़िता का साक्ष्य, पुष्टिकरण के अभाव के बावजूद, बहुत अधिक महत्व का हकदार है। बलात्कार की शिकार महिला या लड़की सह-अपराधी नहीं होती है। बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकरण अनिवार्य शर्त नहीं है। रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1952 एससी 54) में न्यायाधीश विवियन बोस की टिप्पणियाँ थीं: "नियम, जो मामलों के अनुसार कानून के नियम के रूप में कठोर हो गया है, यह नहीं है कि दोषसिद्धि से पहले पुष्टि आवश्यक है, बल्कि यह है कि पुष्टि की आवश्यकता, विवेक के मामले के रूप में, सिवाय जहाँ परिस्थितियाँ इसे समाप्त करना सुरक्षित बनाती हैं, न्यायाधीश के दिमाग में मौजूद होनी चाहिए....."।

65. सामान्यतः महिलाओं के विरुद्ध अपराध, और विशेष रूप से बलात्कार, बढ़ रहे हैं। यह एक विडंबना है कि जहाँ हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, वहीं हम उनके सम्मान के प्रति बहुत कम या बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाते हैं। यह यौन अपराधों की पीड़ितों की मानवीय गरिमा के हनन के प्रति समाज के उदासीन रवैये का एक दुखद



प्रतिबिंब है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि एक बलात्कारी न केवल पीड़िता की निजता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान भी पहुँचाता है। बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है – यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपनी पीड़िता के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय स्त्री की आत्मा को ही अपमानित करता है। इसलिए, बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पर वाद चलाते समय न्यायालय की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभाता है। उन्हें ऐसे प्रकरण को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निराकरण करना चाहिए। न्यायालयों को किसी प्रकरण की व्यापक संभावनाओं की परीक्षा करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष के कथन में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन प्रकरण को खारिज करने के लिए। यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य विश्वास पैदा करते हैं, तो उसके कथन के भौतिक विवरणों की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश न्यायालय को उसके कथन पर पूर्णतः भरोसा करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके कथन को पुष्ट कर सके, हालाँकि सह-अपराधी के प्रकरण में इसकी पुष्टि आवश्यक नहीं है। अभियोक्ता के कथन को पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को यौन उत्पीड़न से जुड़े प्रकरण में अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति सजग और संवेदनशील होना चाहिए। **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996 (2) एससीसी 384)** में इस स्थिति पर प्रकाश डाला गया था।

66. यौन अपराध की अभियोक्ता को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों से न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के अंतर्गत एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी घायल परिवादी या साक्षी के प्रकरण में बरती जाती है, इससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्ता के साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') में धारा 114 के दृष्टांत (बी) के समान कोई विधि या अभ्यास शामिल नहीं है, जिसके लिए पुष्टि की तलाश करना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्ता के कथन पर पूर्णतः भरोसा करने में हिचकिचाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके कथन को पुष्ट कर सके, हालाँकि सह-अपराधी के प्रकरण में यह आवश्यक पुष्टिकरण नहीं है। अभियोक्ता के कथन को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। परंतु यदि अभियोक्ता वयस्क है और पूरी तरह समझदार है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि



का आधार बना सकता है, जब तक कि वह स्वयं कमजोर और अविश्वसनीय न हो। यदि प्रकरण के अभिलेख में दर्ज परिस्थितियों की समग्रता से यह ज्ञात होता है कि अभियोक्ता के पास आक्षेपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

67. राय संदीप @ दीनू बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, 2012 (8) एससीसी 21 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया :---

“हमारी सुविचारित राय में, 'उत्कृष्ट साक्षी' अत्यंत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, इसलिए उसका कथन अकाट्य होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन पर विचार करने वाला न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की स्थिति महत्वहीन होगी और जो सुसंगत होगा वह ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए बयान की सत्यता है। जो अधिक सुसंगत होगा वह कथन की शुरुआत से लेकर अंत तक, अर्थात् उस समय जब साक्षी प्रारंभिक कथन देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष, सुसंगतता होगी। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन में किसी भी प्रकार की मिथ्याकल्पना नहीं होनी चाहिए। साक्षी को किसी भी लम्बाई और कितनी भी कठिन प्रतिपरीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के बारे में किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कथन का अन्य सभी सहायक सामग्रियों, जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय, से सह-संबंध होना चाहिए। उक्त कथन हर दूसरे साक्षी के कथन से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध का दोषी ठहराया जाया सके। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का कथन उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को पूरा करता हो, यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसके कथन को न्यायालय बिना किसी पुष्टि के स्वीकार कर सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त साक्षी का कथन अक्षुण्ण रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, भौतिक विवरणों में उक्त कथन से मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध का परीक्षण करने वाला न्यायालय, अपराधी को आरोपित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छांटने हेतु मूल कथन पर निर्भर रह सके।”

68. सर्वोच्च न्यायालय ने नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य (2022 का दण्डिक अपील सं.144) के प्रकरण में 8.2.2022 पर यह अभिनिर्धारित किया है:-----



10. उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के तहत जो प्रावधान किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए, पॉक्सो अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया गया है। बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बच्चों पर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के कृत्य के अनुरूप उचित दंड देकर, समाज को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि यदि कोई भी पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का अपराध करता है, तो उसे उचित दंड दिया जाएगा और उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बच्चों पर यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के प्रकरण यौन वासना के विकृत उदाहरण हैं, जहाँ इस तरह के नीच यौन सुख की तलाश में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। बच्चे हमारे देश के अनमोल मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की आशा उन पर टिकी है। परंतु दुर्भाग्य से, हमारे देश में बालिकाएँ बहुत ही असुरक्षित स्थिति में हैं। उनके शोषण के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न और/या यौन दुर्व्यवहार शामिल हैं। हमारा मानना है कि इस तरह से बच्चों का शोषण मानवता और समाज के विरुद्ध अपराध है। अतः, बच्चे और विशेष रूप से बालिकाएँ पूर्ण सुरक्षा की हकदार हैं और उन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, (2002) 5 एससीसी 745 के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा देखा और यह अभिनिर्धारित किया है कि, बच्चों को विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रकरण में, इन बच्चों को उचित विधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायालयों के कंधों पर जिम्मेदारी अधिक कठिन होती है। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ, (2019) 2 एससीसी 703 के प्रकरण में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यौन शोषण का शिकार होने वाले नाबालिग को वयस्क पीड़िता से भी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वयस्क पीड़िता वयस्क होने के बावजूद समाज द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न को सहन कर सकती है, लेकिन नाबालिग पीड़िता के लिए ऐसा करना कठिन होगा। नाबालिग पीड़ितों के विरुद्ध होने वाले अधिकांश अपराधों की रिपोर्ट भी नहीं की जाती है क्योंकि अक्सर अपराधी पीड़ित के परिवार का सदस्य या करीबी मित्र होता है। अतः, बच्चे को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अतः, किसी ऐसे अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है जिसने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराध किए हों, विशेषकर तब जब यह न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्यों से सिद्ध हो चुका हो।” 69. यौन अपराध की शिकार पीड़िता के साक्ष्य पर विचार करते समय, न्यायालय अनिवार्य रूप से घटना का लगभग सटीक विवरण की मांग नहीं करता है। इसके बजाय, पीड़िता को घटनाओं के अपने स्मरण के आधार पर, जहाँ तक संभव हो, अपना विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देने पर जोर दिया जाता है। यदि न्यायालय ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय और संदेह से मुक्त मानता है, तो उस संस्करण की पुष्टि पर शायद ही कोई जोर दिया जाता है।



हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्रीकांत शेखर (2004) 8 एससीसी 153 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-----

“21. यह सर्वमान्य है कि बलात्कार के अपराध की पीड़िता होने की परिवाद करने वाली अभियोक्ता, अपराध के बाद सह-अपराधी नहीं है। ऐसा कोई विधिक नियम नहीं है कि उसके कथन को भौतिक विवरणों की पुष्टि के बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। वह एक घायल साक्षी से ऊँचे स्थान पर है। बाद वाले प्रकरण में, शारीरिक रूप से क्षति पहुँचती है, जबकि पहले वाले प्रकरण में यह शारीरिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होती है। यद्यपि, यदि तथ्यों के आधार पर न्यायालय को अभियोक्ता के कथन को उसके मूल रूप में स्वीकार करना कठिन लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकता है, जो उसके कथन को विश्वसनीय बनाए। सहयोगी के संदर्भ में, पुष्टिकरण के बिना, आश्वासन ही पर्याप्त होगा।”

70. इसी आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिवशरणप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2013) 5 एससीसी 705 में निम्नलिखित टिप्पणी की:--

“17. इस प्रकार, यह विधि में सर्वविदित है कि न्यायालय बालसाक्षी के कथन पर विश्वास कर सकता है और यदि वह विश्वसनीय, सत्य है और अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से पुष्ट होती है, तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विवेक के नियम के रूप में, न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्टि देखना वांछनीय समझता है। वे सिद्धांत जो साक्षी के एकल कथन पर भरोसा करने के लिए लागू होते हैं, अर्थात्, यह कथन सत्य और सही है और गुणवत्ता वाला है और इसे केवल पुष्टि के अभाव के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, एक बाल साक्षी पर लागू होते हैं जो सक्षम है और जिसका संस्करण विश्वसनीय है।”

71. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सोन कुशवाहा, (2023) 7 एससीसी 475 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:--

“12. पोक्सो अधिनियम विभिन्न प्रकार के बाल दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था और इसीलिए पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में बच्चों पर विभिन्न प्रकार के यौन हमलों के लिए न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। अतः, धारा 6, अपनी स्पष्ट भाषा में, न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं देती है और विचारण न्यायालय की तरह न्यूनतम दंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब किसी दंडात्मक प्रावधान में “से कम नहीं होगा...” वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है, तो न्यायालय उस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और कम दंड नहीं दे सकते हैं। न्यायालय ऐसा करने में असमर्थ हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो न्यायालय को कम दंड देने में सक्षम बनाता हो। हालाँकि, हमें पोक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा भुगतने के बाद उत्तरवादी जीवन में आगे बढ़ गया होगा, उसके प्रति कोई



नरमी बरतने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस तथ्य के अलावा कि विधि न्यूनतम दंड का प्रावधान करता है, उत्तरवादी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही जघन्य है जिसके लिए बहुत कड़े दंड की आवश्यकता है। इस घृणित कृत्य का पीड़ित/बच्चे के मन पर आजीवन प्रभाव रहेगा। इसका पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने और विचारण न्यायालय के निर्णय को पुनर्स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

72. पीड़िताओं (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) द्वारा विचारण न्यायालय में दिए गए कथन के अनुसार, 30.05.2020 की रात को, पीडब्लू-1, पीड़िता (पीडब्लू-2) के साथ उसके घर के सामने केसला गाँव में टहल रही थी, तभी उसके मोबाइल पर अभियुक्त कमलेश धृतलहरे का फोन आया। उसने दोनों बहनों को अपने और अभियुक्त गोपी के साथ मोटरसाइकिल पर घूमने चलने को कहा। जब उसने मना किया तो अभियुक्त कमलेश धृतलहरे बार-बार फोन करने लगा और कुछ देर बाद अभियुक्त कमलेश धृतलहरे और गोपी साहू मोटरसाइकिल से उसके घर के पास आए, फिर दोनों अभियुक्त दोनों पीड़िता/बहनों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर आरोपी गोपी साहू के घर बजरंग चौक, अमेरा ले गए। वहाँ आधा घंटा रुकने के बाद वे उन्हें अमेरा स्थित श्मशान घाट ले गए। इसके बाद, जब दोनों बहनें अभियुक्त कमलेश और गोपी के साथ मोटरसाइकिल पर ग्राम केसला लौट रही थीं, तो उपरोक्त 6 अभियुक्तगण ने केसला मोड़ पर ब्रेकर के पास अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। अभियुक्त अजय वर्मा ने पीड़िता (पीडब्लू-2) का हाथ पकड़कर उसे झाड़ी की ओर खींच लिया और बाकी अभियुक्त उसकी बहन (पीडब्लू-1) को झाड़ी की ओर ले गए। फिर सभी अभियुक्तगण ने बारी-बारी से दोनों बहनों के साथ बलात्कार किया। पीडब्लू-1 के अनुसार, अभियुक्तों में से एक राजेंद्र डहरिया ने अन्य अभियुक्तों द्वारा दोनों बहनों के साथ बलात्कार का वीडियो बनाया था। पीडब्लू-1 ने आगे बताया कि घटना के बाद दोनों बहनें बहुत दर्द में थीं और बड़ी मुश्किल से घर लौटीं। पीडब्लू-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि जब उसने अभियुक्त जगन्नाथ से कहा कि वह घटना की सूचना पुलिस को देगी, तो जगन्नाथ ने कहा कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। साथ ही, अभियुक्त जगन्नाथ और अजय वर्मा ने धमकी भी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे उसके बलात्कार का वीडियो वायरल कर देंगे। पीडब्लू-2 ने यह भी बताया है कि उपरोक्त दोनों अभियुक्तों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीडब्लू-1 ने यह भी बताया है कि घटना के बाद, अभियुक्त अजय वर्मा कौशल ध्रुव उसके घर केसला गाँव आए और उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे पहले ही हत्या कर चुके हैं और दोबारा हत्या करने में विलंब नहीं करेंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि वे दोनों बहनों को किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं लेने देंगे।



73. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि यौन अपराधों में अभियोजन पक्ष की एकमात्र कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई विधिक बाधा नहीं है, यदि उसका बयान विश्वास पैदा करता है। वर्तमान प्रकरण में, पीड़ितों (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-02) ने अपनी न्यायिक जांच में स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 30.05.2020 की घटना को, अभियुक्तों ने उनकी इच्छा और सहमति के बिना बारी-बारी से उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यौन अपराध से पीड़ित बच्चे के लिए घटना की मूल प्रकृति को भूलना कठिन होता है, और वर्तमान प्रकरण में, पीड़िताओं ने अपने साथ घटित घटना को संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अकाट्य साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसकी पुष्टि अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (अनुच्छेद-ए), सीडीआर (एक्स.पी-75) और अभियोजन पक्ष के साक्षी अर्थात् पीड़िताओं के पिता (पीडब्लू-3), श्रीमती मनीषा तिवारी, महिला हेल्पलाइन की प्रबंधक (पीडब्लू-10), तूलिका परगनिहा (पीडब्लू-6), विक्रम ध्रुव, साइबर लैब में उप-निरीक्षक (पीडब्लू-14), डॉ. बी.एस. ध्रुव, चिकित्सा अधिकारी (पीडब्लू-13), मिलिंद पांडे (पीडब्लू-16) द्वारा की गई है।

74. साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के यह साबित करने में सफल रहा है कि घटना की तिथि पर, दोनों पीड़िताएँ 18 वर्ष से कम आयु की थीं और "बालक" श्रेणी में आती थीं तथा अभियुक्तों ने, घटना की उक्त तिथि, समय और स्थान पर, नाबालिग पीड़ित लड़कियों, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, के साथ उनकी इच्छा और सहमति के बिना बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार करके गंभीर यौन उत्पीड़न किया।

75. उपरोक्त के अनुसार, धारा 376 डी में परिभाषित सामूहिक बलात्कार और प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियाँ इस तथ्य को पूरी तरह से पुष्ट करती हैं कि प्रत्येक अभियुक्त ने इस अपराध को करने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है।

76. पीड़ितों (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2) के साक्ष्य, जिन्होंने प्रत्येक अपीलकर्ता और अन्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों की भूमिका तथा अभिलेख पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को स्पष्ट रूप से बताया है, पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं- अजय वर्मा उर्फ छोदू (ए1), शिवम वर्मा उर्फ मोनू (ए2), सोहन ध्रुव (ए3), राजेंद्र कुमार डहरिया उर्फ लता डहरिया उर्फ राजेंद्र डायमंड (ए4), उकेश उर्फ राकेश डहरिया (ए5), कमलेश उर्फ रंकी घृतलाहरे (ए6), गोपी साहू (ए7), पीयूष वर्मा उर्फ मिंटू (ए8) और जगन्नाथ यादव उर्फ मोलू उर्फ जगदेव यादव (ए9) को आक्षेपित निर्णय में उल्लिखित अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है। हम विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई अवैधता तथा अनियमितता नहीं पाते हैं।

77. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे अपना प्रकरण साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं



को दी गई दोषसिद्धि तथा दण्ड को एतद्वारा यथावत रखा जाता है। वर्तमान दाण्डिक अपीलों में कोई सार नहीं है तथा तदनुसार इन्हें खारिज किया जाता है।

78. अपीलकर्ता पीयूष वर्मा उर्फ मिंटू, कमलेश उर्फ रॉकी घृतलाहरे और गोपी साहू जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उन्मोचित कर दिया जाता है। उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दंड भोगने हेतु संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें अभिरक्षा में ले लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा।

79. अपीलकर्ता, अर्थात् अजय वर्मा उर्फ छोटू, शिवम वर्मा उर्फ मोनू, सोहन ध्रुव, राजेंद्र कुमार डहरिया उर्फ लता डहरिया उर्फ राजेंद्र डायमंड, उकेश उर्फ राकेश डहरिया और जगन्नाथ यादव उर्फ मोलू उर्फ जगदेव यादव, जेल में बताए गए हैं, वे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दंड भोगा जायेगा।

80. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजे जहाँ अपीलकर्ता कारागार का दंड भोग रहे हैं, ताकि अपीलकर्ताओं को यह सूचित किया जा सके कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

सही/-

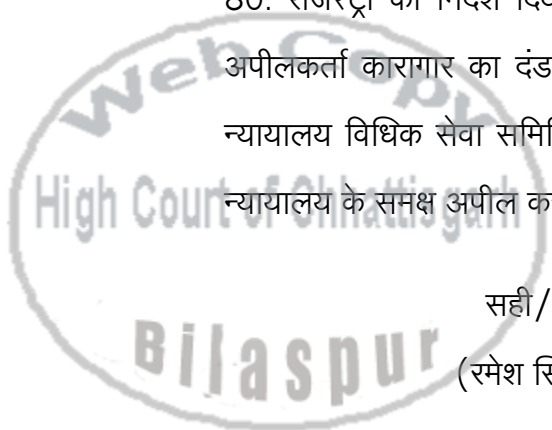
(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

(बिभू दत्त गुरु)

न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।



2025: सीजीएचसी:31864-डीबी

हेड नोट :

जहां किसी पीड़िता के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर या समान आशय से कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है, वहां ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को लागू विधियों के तहत परिभाषित संयुक्त दायित्व और समान आशय के सिद्धांतों के अनुसार बलात्कार का अपराध कारित करने वाला माना जाएगा।